लय

न बनाम

मा नं.

12 2/3

पत्रावली पेश। अधि. प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण को
दिनांक 5/11/24 को सहकर्मी से तामील करा लिया
गया है जबकि तामील पूर्व में पेश की जा चुकी है।
बहस अधिवक्ता एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा
के बिन्दु पर सुनी गई। बहस पर मनन किया गया
एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन
किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 को तामील
हो चुकी है, बावजूद तामील हाजिर नहीं। अत:
अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 के खिलाफ एकतरफा
कार्यवाही अमल में लाई गई है। विवादित भूमि में
प्रार्थी के हित निहित हैं जिनके हक का निर्धारण
मूल वाद से किया जाना है। विवादित भूमि के
रिकॉर्ड की यथास्थिति में परिवर्तन होने पर प्रार्थी
के हित प्रभावित हो सकते हैं तथा वाद बाहुल्यता
बढ़ने की संभावना है. वाद बाहुल्यता को बढ़ने
से रोकने के लिए ~~अप्रार्थीगण/विपक्षी को पाबन्द~~
~~म~~ उभयपक्ष को तादौराने वाद विवादित भूमि
के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु
पाबन्द किया जाना उचित है। अत: उभयपक्ष को
जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तरिम रूप से
पाबन्द किया जाता है कि वे तादौराने वाद
विवादित भूमि ख.नं. 3880/2678, 4568/3881,
4569/3881, ~~तथा ख.नं. 3/1436 वाके ग्राम कुआंपुरा~~
कुल किता 03 कुल रकबा 1.87 हैक्टर वाके ग्राम
पुरोहित का बास तथा भूमि ख.नं. 4103/1436
वाके ग्राम कुआंपुरा तहसील व जिला सीकर की
भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रा.
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, शामिल
दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर